कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा–324005

प्रबन्ध–मण्डल की 38वीं बैठक दिनांक 20.11.2020

कार्यवृत

प्रबन्ध–मण्डल की 38वीं बैठक दिनांक 20.11.2020 को पूर्वाह्न 11:30 बजे विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन स्थित बैठक हॉल में माननीया कुलपति महोदया की अध्यक्षता में ऑनलाइन पद्धति से सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित की सहभागिता रहीः–

	प्रो0 नीलिमा सिंह माननीया कुलपति महोदया, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	अध्यक्ष
2	डॉ. मोहम्मद नईम नामित सदस्य, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
3.	प्रो. जॉन वर्गीस कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य	सदस्य
4.	प्रो. मनोरंजन शर्मा कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य	सदस्य
5.	श्रीमती इन्द्रा मीणा माननीय विधायक, वामनवास, सवाई माधोपुर राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित सदस्य	सदस्य
6.	डॉ. जगदीश प्रसाद सैनी राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्	सदस्य
7.	डॉ. पीयूष कुमार सालोदिया प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, बून्दी राज्य सरकार द्वारा नामित राज. महाविद्यालय, प्राचार्य	सदस्य
8.	डॉ. राजवन्त सन्धु प्राचार्य, प्रगति शिक्षण प्रशिक्षक महाविद्यालय, कोटा राज्य सरकार द्वारा नामित निजी महाविद्यालय, प्राचार्य	सदस्य
9.	प्रो. आशु रानी कुलपति द्वारा नाम निर्देशित अधिष्ठाता	सदस्य
10.	श्री जय कौशिक वित्त नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
11.	डॉ0 आर.के. उपाध्याय कुलसचिव	सदस्य सचिव

वित्त विभाग के नामित सदस्य (संभागीय आयुक्त, कोटा), राजस्थान सरकार, जयपुर; आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर; श्री पानाचंद मेघवाल, माननीय विधायक, अटरू जिला बारां; डॉ. के.एम. हिरोनी, पूर्व ओ.एस.डी, उच्च शिक्षा विभाग, राज. सरकार, जयपुर; प्रो. एन. के. जैमन, कुलपति द्वारा नामित आचार्य एवं प्रो. रीना दाधीच, कुलपति द्वारा नामित आचार्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव एवं माननीया कुलपति द्वारा सभी सम्मानीय सदस्यों का स्वागत व अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय की विभिन्न उपलब्धियों/गतिविधियों के संबंध में सदन को अवगत करवाया गया।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर बिन्दुवार चर्चा कर निम्नानुसार संकल्प/निर्णय पारित किये गये :—

मद संख्या—1	:	प्रबन्ध—मण्डल की बैठक दिनांक 07.08.2019 व 10.08.2020 (by circulation method) के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की 36वीं बैठक दिनांक 07.08.2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किए जाने के संबंध में उक्त बाबत् डॉ. के.एम. हिरोनी, माननीय सदस्य तथा प्रो. रीना दाधीच, माननीय सदस्य, प्रबंध मण्डल से प्राप्त टिप्पणियों पर चर्चा की गई। प्रबंध मण्डल की 36वीं बैठक दिनांक 07.08.2019 के मद सं. 5, निरीक्षण मण्डल की बैठकों के कार्यवाही विवरण का विस्तार से चर्चा न करने के संबंध में डॉ. हिरोनी से प्राप्त टिप्पणी पर विचार—विमर्श हुआ, चूंकि अन्य माननीय सदस्यों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई तथा उक्त बैठक में तत्समय आपत्ति व्यक्त न करने के कारण मद सं. 5 के संबंध में लिए गए निर्णय को अनुमोदित किया गया। प्रबंध मण्डल की उक्त बैठक दिनांक 07.08.2019 के मद सं. 11, विश्वविद्यालय में महात्मा ज्योतिबा फुले शोध पीठ को स्थापित करने के संबंध में प्रो. रीना दाधीच से राज्य सरकार से विस्तृत दिशा—निर्देश/आदेश प्राप्त होने के पश्चात् ही उक्त पीठ खोले जाने के संबंध में प्राप्त टिप्पणी पर चर्चा हुई। चूंकि उक्त बैठक में उक्त पीठ की स्थापना करने संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया था तथा राज्य सरकार से प्राप्त आदेशों की पालना में उक्त पीठ की स्थापना कर दी गई है। अतः प्रो. दाधीच से प्राप्त टिप्पणी पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। विश्वविद्यालय में पूर्व में स्थापित समस्त पीठों की उपयोगिता के आधार पर पुर्नविचार किए जाने के संबंध में प्रबंध मण्डल की तीन—सदस्यी समिति निम्नानुसार गठित की गई:— 1. डॉ. जे.पी. सैनी, माननीय सदस्य, प्रबंध मंडल। 2. प्रो. आशु रानी, माननीय सदस्य, प्रबंध मंडल। 3. कुलसचिव, सदस्य सचिव, प्रबंध मंडल। प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 07.08.2019 व 10.08.2020 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–2	:	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 07.08.2019 व 10.08.2020 (by circulation method) में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित करना।
निर्णय	:	प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 07.08.2019 में लिये गये निर्णयों के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही पर चर्चा की गई। उक्त बैठक के मद सं. 17 पर विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाहियों की चर्चा हुई। गत बैठक में विश्वविद्यालय में चैयरमेन–परीक्षा बनाये जाने के संबंध में प्रो. हिरोनी द्वारा उठाये गये प्रकरण पर विचार विमर्श हुआ। संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (नामित सदस्य, सचिव, उच्च शिक्षा) ने सदन से जानना चाहा कि विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक परीक्षा नियंत्रक होने के बावजूद परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए चैयरमेन बनाने का क्या औचित्य है? इस संबंध में कुलपति महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि चैयरमेन–परीक्षा पद पर किसी को नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी है अपितु पूर्व से ही परीक्षा संबंधी कार्यों के सुगम संचालन हेतु परीक्षा समिति (वर्ष 2013 से) गठित की हुई है, जिस पर कोई मानदेय (Remuneration) भी नहीं दिया जाता है। उक्त समिति में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रो. को परीक्षा समिति का चैयरमेन बनाया जाता रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत् उनके कार्यग्रहण से पूर्व परीक्षा समिति के चैयरमेन के रूप में वरिष्ठ प्रोफेसर मनोनीत है, जिन्हें pick & drop व्यवस्था/परीक्षा संबंधी कार्य के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की भांति वाहन की सुविधा वर्ष 2013 से प्रदान की हुई है। यह कार्य विश्वविद्यालय के कार्यों के सुगम संचालन एवं नीतिगत निर्णयों में सहयोग प्रदान किये जाने के उद्देश्य से किया गया है। उक्त मद में उल्लेखित Teachers Welfare Fund में जमा राशि से विश्वविद्यालय में अन्य विश्वविद्यालय व संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय से पधारने वाले शैक्षणिक व अशैक्षिक स्टॉफ को रियायती दर में ठहरने के लिए सुविधार्थ कोई भवन विश्वविद्यालय में बनवाये जाने के संबंध में एक समिति का गठन किए जाने की अभिशंपा की गई जिसके लिए माननीय कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया।
मद संख्या–3	:	विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 25.08.2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।
निर्णय	:	विद्या परिषद की दिनांक 25.08.2020 को हुई बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। साथ ही डॉ. पीयूष सालोदिया, माननीय सदस्य द्वारा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देशों के तहत् equal opportunity centre खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया। सदन द्वारा छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय में प्रस्तावित राजीव गांधी विद्यार्थी सेवा केन्द्र में वर्गीकरण के अनुसार cell बनाने की अनुशंपा की गई।

मद संख्या–4	:	वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.07.2020 व 23.09.2020 (ऑनलाइन) के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना (वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 के संशोधित बजट से संबंधित अनुशंषाओं को अनुमोदित करना)।
निर्णय	:	वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.07.2020 व 23.09.2020 (ऑनलाइन) के कार्यवाही विवरण को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–5	:	निरीक्षण मण्डल (Board of Inspection) की दिनांक 27.07.2020 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।
निर्णय	:	निरीक्षण मंडल (Board of Inspection) की दिनांक 27.07.2020 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–6	:	बोर्ड ऑफ गवर्नस् (BoG)-RUSA) की बैठक दिनांक 01.02.2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।
निर्णय	:	बोर्ड ऑफ गवर्नस् (BoG-RUSA) की बैठक दिनांक 01.02.2020 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–7	:	विश्वविद्यालय परिसर में स्थायी एवं स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से पाइप लाईन डालने के लिए तैयार करायी गयी परियोजना (अनुमानित व्यय रू. 10 करोड़) की विश्वविद्यालय के स्वयं के आय–स्त्रोतों से सम्पन्न कराने संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन करना।
निर्णय	:	विश्वविद्यालय परिसर में छात्र/छात्राओं/Teachers/Officers को स्वच्छ पेयजल देना विश्वविद्यालय का दायित्व है, इसलिए विश्वविद्यालय परिसर में स्थायी एवं स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से पाइप लाईन डालने के लिए तैयार करायी गयी परियोजना (अनुमानित व्यय रू. 10 करोड़) की विश्वविद्यालय के स्वयं के आय स्त्रोतों से सम्पन्न कराने संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–8	:	वित्त विभाग, राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र क्र. प.9(1)वित्त–1(1) आ. व्य./2020 दिनांक 03.09.2020 के क्रम में विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवनों को छात्रों के लिए उपयोगी बनाने हेतु फर्नीचर क्रय करने के लिए शिथिलता प्रदान करने संबंधी प्रस्तावों का प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदन करना।
निर्णय	:	वित्त विभाग, राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र क्र. प.9(1)वित्त–1(1)/आ. व्य./2020 दिनांक 03.09.2020 के क्रम में विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवनों को छात्रों के लिए उपयोगी बनाने हेतु फर्नीचर क्रय करने के लिए शिथिलता प्रदान करने संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–9	:	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत् 03 संविदा कर्मियों की सेवा अवधि में 01.07.2020 से एक वर्ष के लिये की गयी अभिवृद्धि सम्बन्धी आदेशों की पुष्टि करवाने हेतु।

निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत 06 संविदा कर्मियों की सेवा अवधि में दिनांक 01.07.2020 से एक वर्ष के लिए की गयी अभिवृद्धि संबंधी आदेशों की पुष्टि की गई। साथ ही जो संविदा कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन सही रूप से नहीं कर रहे हैं उनके विरूद्ध कोई भी disciplinary action लेने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
मद संख्या–10	:	**विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 26.08.2020 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवाही विवरण एवं उक्त अनुशंषाओं के क्रम में जारी पदोन्नति आदेशों को रिपोर्ट करने हेतु।**
निर्णय	:	विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 26.8.2020 को संपन्न हुई बैठक का कार्यवाही एवं उक्त अनुशंषाओं के क्रम में जारी पदोन्नति आदेशों को अनुमोदित किया गया। आगामी वर्षों में विभागीय पदोन्नति की अनुशंषाओं का अनुमोदन प्रबंध मण्डल से करवाकर ही पदोन्नति प्रदान करने संबंधी निर्णय लिया गया।
मद संख्या–11	:	**विश्वविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्त सेवानिवृत कार्मिक को रखे जाने सम्बन्धी आदेशों को रिपोर्ट करने हेतु।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के रिक्त पद पर सेवानिवृत कार्मिक की लिखित संविदा नियुक्ति (Temporary) कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के अधिनियम, 2003 की धारा 32(2) के अनुसार प्रदान की गई है। अतः उक्त नियुक्ति आदेश को प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–12	:	**विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में रखे गये सेवानिवृत खेल अधिकारी के आदेशों को रिपोर्ट करने हेतु।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में रखे गये सेवानिवृत खेल अधिकारी के आदेशों को प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।
मद संख्या–13	:	**विश्वविद्यालय को बी.फार्म. पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार से स्वीकृत शैक्षणिक संवर्ग के 08 पदों को भरे जाने की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय को बी.फार्म. पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार से स्वीकृत शैक्षणिक संवर्ग के 08 (अस्थायी) पदों को भरे जाने की अनुशंषा की गई। चर्चा के दौरान पदों को भरे जाने हेतु राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने संबंधी विषय पर विमर्श हुआ। इस संबध में वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.9(1) वित्त–1(1)आ.व्य/2012/दिनांक 18.10.2019 के बिन्दु संख्या 3(ii) के अन्तर्गत होने की स्थिति के संबंध में राज्य सरकार को अवगत करवा दिया हैं। विश्वविद्यालय में बी.फार्म. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु डॉ. उत्तम सिंह बाघेल को दिए जा रहे मानदेय के संबंध में सदन में चर्चा हुई। सदन को अवगत करवाया गया कि हाडौती क्षेत्र में फार्मेसी विषय में

		अध्ययन के अवसर उपलब्ध करवाने के लिये विश्वविद्यालय के अथक प्रयासों के पश्चात विश्वविद्यालय परिसर में बी.फार्म. पाठ्यक्रम के संचालन के लिये फार्मेसी कॉन्सिल ऑफ इण्डिया (पी.सी.आई.) एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) की मान्यता प्राप्त हुई। पी.सी.आई. के अनुसार विभागाध्यक्ष पद पर आचार्य स्तर के शिक्षक का होना आवश्यक है। आचार्य पद हेतु मासिक स्थिर मानदेय रू. 47,600/- निर्धारित है किन्तु विशिष्ठ प्रकृति का पाठ्यक्रम होने के कारण उक्त मानदेय पर सेवाएं प्रदान करने हेतु संबंधित विषय के विशेषज्ञों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो सके थे, उक्त स्थिति को विद्यां परिषद की दिनांक 09.07.2019 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तुत करने पर विद्या परिषद् द्वारा पाठ्यक्रम की विशिष्ठता को देखते हुए आचार्य के लिए मासिक पारिश्रमिक रू. 80,000/- निर्धारित किया गया, जिसका अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 07.08.2019 को सम्पन्न बैठक में हो चुका है।
मद संख्या-14	:	अन्य मद कुलपति की अनुमति से (i) संपूर्ण विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुए आरक्षण रोस्टर के प्रावधान लागू करने संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। (ii) आसन की अनुमति से प्रस्तुत उक्त मद अनुसार, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा गठित भवन ऋण समिति की बैठक दिनांक 14.09.2020 की अनुशंषा को प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष रखा गया। उक्तानुसार म.द.स. वि.वि., अजमेर के विश्वविद्यालय भवन निर्माण अग्रिम नियमों को संशोधन के साथ कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यालय आदेश क्रमांक:एफ.3( )स्था /को.वि.को./2010/4533-51 दिनांक 25.06.2010 द्वारा अंगीकार किया है । इसी क्रम में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कार्यालय आदेश क्रमांक: एफ.6 ( )विवले./मदसविवि./2020/7599 दिनांक 02.06.2020 (वित्त समिति की अनुशंषा एवं प्रबन्ध मण्डल के निर्णय की पालना में) द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के कार्मिकों को विश्वविद्यालय भवन निर्माण अग्रिम नियमों के अंतर्गत देय अग्रिम ब्याज दरों में संशोधन (उक्त आदेश में अंकितानुसार वर्तमान प्रचलित दरों में एक प्रतिशत की कमी) को कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में प्रवृत मान्य करने हेतु चर्चा की गई। प्रबन्ध मण्डल द्वारा चर्चा उपरांत सर्व-सम्मति से सहमति व्यक्त की गई कि चूंकि म.द.स. वि.वि., अजमेर के सेवा व लेखा नियम ही इस विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रभावी है, अतः भवन निर्माण अग्रिम नियमों के अंतर्गत देय अग्रिम पर ब्याज दरों में संशोधन को इस विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुमोदन की तिथि से प्रवृत मान्य किये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए तदनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया । साथ ही भवन निर्माण अग्रिम नियमों के अंतर्गत देय अग्रिम हेतु म.द.स. वि.वि., अजमेर द्वारा समय-समय पर सक्षम निकाय से अनुमोदनोपरांत होने वाले संशोधन को तदनुसार ही इस विश्वविद्यालय में मान्य

		किया जाने पर भी सहमति व्यक्त की गई । (iii) राज्य सरकार द्वारा हाल ही में विश्वविद्यालय में 08 शैक्षणिक पदों को भरे जाने की सहमति प्रदान की गयी है के संबंध में सदन द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के साथ नियमानुसार भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। (iv) विश्वविद्यालय में प्रस्तावित कन्या छात्रावास का नामकरण प्रियदर्शिनी इन्दिरा कन्या छात्रावास करने की अनुशंपा की गई। (v) विश्वविद्यालय कर्मचारियों को वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.11.2020 में उल्लेखित शर्तों पर वर्ष 2019–20 के लिए तदर्थ वोनस भुगतान किए जाने के संबंध में माननीया कुलपति महोदया द्वारा सदन को अवगत कराया गया। प्रवंध मण्डल द्वारा राज्य सरकार के उक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही करने की सहमति व्यक्त की गई।

अन्त में कुलपति महोदया ने सभी माननीय सदस्यों का वैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव